08/10/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय-पक्ष उपस्थित। प्रार्थी पक्ष मौजूद। उभय पक्षान को विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर जारी शामिल उभय पक्षान कर जाती है। नियम से दर्ज हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/201

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:04:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :–सदीप कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. :– 87/2024
जीसीएमएस सं. :– 2024/201

दायरा दिनाक 30.04.2024

1. आशाराम पुत्र चुनीराम जाति जाट साकिन रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आरटीए 1955

उपस्थित :– 1. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – प्रार्थी
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ – अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 08.10.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी ने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 21 एसटीबी के पत्थर न. 54/320 के किला न. 4/1 से 7, 13/2 से 18, 23/3 ता 25/5 में 3.162 हैक. जिसमें प्रार्थी का 25/3162 हिस्सा यानि 0.25 हैक. रकबा खातेदारी है जिसमें किला न. 25 के 0.025 हैक. रकबा में प्रार्थी ने ट्यूबवैल लगाकर विधुत कनेक्शन लिया हुआ है तथा प्रार्थी एंव प्रार्थी की माता तुलछी के नाम से इसी चक के पत्थर न. 53/306 के किला न. 16, 17, 21 ता 25 में 1.771 हैक. व पत्थर न. 53/307 के किला न. 1 ता 25 में 6.325 हैक. व पत्थर न. 53/308 के किला न. 1 ता 13 में 3.289 हैक. इस प्रकार 11.385 हैक. बारानी भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होकर हिस्सानुसार कब्जा काश्त में चली आ रही है इस रकबा में पानी का स्त्रोत नही है इसलिये प्रार्थी अपने पत्थर न. 54/320 के किला न. 25 से अपने व अपनी माता के पत्थर न. 53/306, 53/307, 53/308 के रकबा को पाईप लाईन से पानी देकर फसल बिजान्त करना चाहता है जिसके लिये प्रार्थी पत्थर न. 54/320 से 54/308 के प्रत्येक पत्थर नम्बर के किला न. 5–6–15–16–25 के पूर्वी पासा में स्वीकृत शुदा रास्ता में से 3.5 फुट गहराई में पाईप लाईन दबाने की स्वीकृति चाहता है इस पाईप लाईन के अभाव में प्रार्थी के रकबा में फसल पानी के बिना जल जाती [illegible] स्वीकृति जारी की जावे।

पत्रावली में तहसीलदार से जांच रिपोर्ट [illegible] रास्ता में से 3.5 फुट गहराई में पाईप लाईन दबाने में कोई आपत्ति नही की है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार पाईप लाईन दबाने वाले रकबा की निर्धारित राशि जमा करवाने पर स्वीकृति जारी की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:04:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को चक 21 एसटीबी के पत्थर न. 54/320 के किला न. 5–6–15–16–25 से पत्थर न. 54/308 के किला न. 5–6–15–16–25 के पूर्वी पासा में स्वीकृत शुदा रास्ता की जमीन में 3.5 फुट गहराई में पाईप लाईन दबाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार सूरतगढ़ उक्त पाईप लाईन में आने वाले रकबा के बदले वर्तमान डीएलसी राशि की 10 प्रतिशत राशि प्रार्थी से जमा करवायें। तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष उक्त राशि जमा करवाने के उपरान्त ही उक्त स्वीकृति लागू होगी। भविष्य में उक्त पाईप लाईन से यदि रास्ता को नुकसान होता है तो प्रार्थी इसे स्वयं के खर्चा पर सही करने हेतु पाबंद रहेगा। तहसीलदार के नाम से पत्र जारी हो। पत्रावली दफतर दाखिल हो।

. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(सदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:04:49 IST
Reason: SelfAttested